जे.पी.आर5– 807
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – secomml@

क्र0 जेपीडी / अधी.अ. (वा.) / सी– I / एफ. 4(392) / प्रे0 1168 जयपुर, दिनांक– 07/09/2016

आदेश

विषय : कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने के संबंध में।

माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री के दिशा निर्देश पर दिनांक 19.08.2016 को आयोजित 71वीं डिस्कॉम कोऑर्डिनेशन फोरम की बैठक में कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" को निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01 जुलाई 2016 से दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक लागू किया जाता है।

1. ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा / खेत / परिसर / मुरब्बा में हों, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. इस "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, यदि विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि (रू0 15/– प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार नियमित कर दिया जावेगा।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रू0 2500/– प्रति हॉर्स पावर(अतिरिक्त बढ़े भार पर) देने होंगे।
4. यदि मद (2 व 3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया गया तो ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर निम्नानुसार राशि वसूल की जावेगी :–
   (क). मीटर श्रेणी के उपभोक्ता
   रू. 120/– प्रति एच.पी पैनल्टी राशि व रू0 1500/– प्रति एच.पी. नियमितीकरण शुल्क
   (ख). फ्लैट रेट श्रेणी के उपभोक्ता
   रू. 4920/– प्रति एच.पी पैनल्टी राशि व रू0 1500/– प्रति एच.पी. नियमितीकरण शुल्क
5. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 के.वी लाइन एवं सब–स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा।

1 जुलाई 2016 से उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वी.सी.आर भरी जा चुकी है तो वह भी उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जावेगी। उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की समाप्ति (30 नवम्बर 2016) के पश्चात् भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।

आज्ञा से
7/9/16
(के0 के0 पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)